



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-12102020-222368
CG-WB-E-12102020-222368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]
No. 11]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

कोलकाता, 7 अक्टूबर, 2020

सं. विज्ञ/जेड-80/मिस./2019 :- पश्चिम बंगाल सर्किल के उत्तर बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत जलपाईगुड़ी मंडल पहले वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर (समूह 'क' हैसियत) द्वारा नियंत्रित था जो डाक सहायक/डाकिया/एमटीएस/जीडीएसबीपीएम संवर्गों के नियुक्ति प्राधिकारी थे। इसके बाद मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल के दिनांक 03.04.2017 के ज्ञापन सं. ईस्ट/बी/ई-11/चैप.-VII/2011 द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, जलपाईगुड़ी मंडल के पद की अस्थायी रूप से सेवाह्वित में अधीक्षक डाकघर (डाक सेवा समूह 'ख' हैसियत) के रूप में पदावनति की गई।

2. जलपाईगुड़ी के प्रशासनिक पदानुक्रम में परिवर्तन के फलस्वरूप सहायक पोस्टमास्टर जनरल (मेल एवं बीडी), उत्तर बंगाल क्षेत्र को भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग-III, खंड-I) में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं 16 दिनांक 10.09.2019 द्वारा तदर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल के दिनांक 16.06.2020 के ज्ञापन सं. ईस्ट/बी/ई-11/चैप.-VI/2010-11 द्वारा सहायक पोस्टमास्टर जनरल (मेल एवं व्यवसाय विकास), उत्तर बंगाल क्षेत्र के पद को अस्थाई रूप से पुनः डाक सेवा समूह 'ख' हैसियत में पदावनत किया गया।

3. जलपाईगुड़ी मंडल के प्रशासनिक पदानुक्रम में परिवर्तन एवं सहायक पोस्टमास्टर जनरल (मेल एवं व्यवसाय विकास), उत्तर बंगाल क्षेत्र के पद की पदावनति के फलस्वरूप नीचे सारणी-'क' के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जलपाईगुड़ी मंडल (सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम-11 एवं ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं वचनबंध)

नियमावली, 2011 के नियम-11 के संदर्भ में दंड) डाक सहायक (समूह 'ग'), डाकिया (समूह 'ग'), एमटीएस (समूह 'ग') एवं जीडीएसबीपीएम संवर्गों के नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। स्तम्भ 4 एवं 6 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट दंडों के संबंध में उस तारीख से क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

सारणी 'क'

क्रम सं.	पदों का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड अधिरोपितकर्ता सक्षम प्राधिकारी तथा वे दंड जो अधिरोपित हो सकते हैं।		अपीली प्राधिकारी
			प्राधिकारी	दंड	
1	2	3	4	5	6
1	जलपाईगुडी मंडल के वे डाक सहायक (समूह 'ग')/डाकिया (समूह 'ग')/ एमटीएस (समूह 'ग')/ जीडीएसबीपीएम जिनकी नियुक्ति 03.04.2017 के पहले हुई थी।	वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर	कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व कोलकाता मंडल के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर (तदर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी)	सभी	निदेशक डाक सेवा, उत्तर बंगाल क्षेत्र
2	जलपाईगुडी मंडल के वे डाक सहायक (समूह 'ग')/डाकिया (समूह 'ग')/ एमटीएस (समूह 'ग')/ जीडीएसबीपीएम (अब शाखा पोस्टमास्टर) जिनकी नियुक्ति 03.04.2017 को या उसके बाद हुई थी।	अधीक्षक डाकघर	अधीक्षक डाकघर	सभी	निदेशक डाक सेवा, उत्तर बंगाल क्षेत्र

4. ग्रामीण डाक सेवकों(शाखा पोस्टमास्टरों को छोड़कर) के संबंध में कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व कोलकाता मंडल के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं वचनबंध) नियमावली, 2011 के नियम-19 के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों की याचिकाओं पर निर्णय पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर बंगाल क्षेत्र द्वारा किए जाएंगे।

5. जिन मामलों में जिनमें पूर्ववर्ती वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, जलपाईगुडी मंडल नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी थे, उन मामलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र आदि से संबंधित मामलों पर विचार करने हेतु जलपाईगुडी मंडल के लिए कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व कोलकाता मंडल के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर सक्षम प्राधिकारी होंगे।

मर्विन अलेक्जेंडर,

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

Kolkata, the 7th October, 2020

No. Vig/Z-80/Misc/2019: Jalpaiguri Division under North Bengal Region in West Bengal Circle was previously headed by the Senior Superintendent of Post Offices (Group 'A' Status), who was the appointing authority in respect of Postal Assistant/Postman/MTS/GDSBPM cadres. Subsequently the post of Senior Superintendent of Post Offices, Jalpaiguri Division was downgraded temporarily in the interest of service to Superintendent of Post Offices (PS Group 'B' Status) vide CPMG, West Bengal Circle, memo no EST/B/E-11/CH-VI/2011 dated 03.04.2017.

2. Consequent upon the changes in the administrative hierarchy of Jalpaiguri Division, Assistant Postmaster General (Mails & BD), North Bengal Region was appointed as the Adhoc-Disciplinary Authority vide Gazette Notification no. 16 dated 10.09.2019 published in The Gazette of India (Extraordinary, Part-III, Section-I). Again the

post of the Assistant Postmaster General (Mails & BD), North Bengal Region was downgraded temporarily in the interest of service to the PS Group 'B' status vide CPMG, West Bengal Circle, memo no EST/B/E-11/CH-VI/2010-11 dated 16.06.2020.

3. Consequent upon the changes in the administrative hierarchy of Jalpaiguri Division and down gradation of the post of the Assistant Postmaster General (Mails & BD), North Bengal Region, the authorities specified in Column 3 of the Table 'A' below will be the appointing authority for the posts in Postal Assistant (Group 'C'), Postman (Group 'C'), MTS (Group 'C') and GDSBPM cadres at Jalpaiguri Division [with reference to penalties in Rule-11 of CCS (CCA) Rules, 1965 and Rule-9 of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2011]. The authorities specified in Column 4 and 6 shall be the disciplinary authority and appellate authority respectively in regard to the penalties specified in Column 5 with effect from that date.

Table-'A'

Sl No	Description of Posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may imposes		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
1	2	3	4	5	6
1	Postal Assistant (Group 'C')/ Postman (Group 'C')/ MTS (Group 'C')/GDSBPM of Jalpaiguri Division appointed prior to 03.04.2017	Senior Superintendent of Post Offices	Senior Superintendent of Post Offices, East Kolkata Division under Kolkata Region (Adhoc-Disciplinary Authority)	All	Director of Postal Services, North Bengal Region
2	Postal Assistant (Group 'C')/ Postman (Group 'C')/ MTS (Group 'C')/GDSBPM (now BPM) of Jalpaiguri Division appointed on or after 03.04.2017	Superintendent of Post Offices	Superintendent of Post Offices	All	Director of Postal Services, North Bengal Region

4. The Senior Superintendent of Post Offices, East Kolkata Division under Kolkata Region will function as the Appellate Authority in respect of Gramin Dak Sewaks (other than BPM category) and petitions of Gramin Dak Sewaks under Rule-19 of GDS (Conduct and Engagement) Rules'2011 will be decided by PMG, North Bengal Region.

5. In respect of cases where erstwhile Senior Superintendent of Post Offices, Jalpaiguri Division was Appointing/Disciplinary authority, the authority competent to consider the cases of VR, Resignation etc. will be Senior Superintendent of Post Offices, East Kolkata Division under Kolkata Region for Jalpaiguri Division.

MERVIN ALEXANDER,
Chief Postmaster General, West Bengal Circle